

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 216 वीं बैठक दिनांक 17.06.2014 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में "चिन्तन" कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में एजेण्डा संख्या-1 से 5 व अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-1 से 5, 8, 10 व 11 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक एमपी/बीपीसी (एलपी-1) से संबंधित है एवं एजेण्डा संख्या 6 से 9 व अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-6, 7 व 9 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बीपीसी (एलपी-1।) से संबंधित है। जिसका कार्यवाही विवरण संबंधित अति. मुख्य नगर नियोजक द्वारा तैयार किया गया है जो निम्नानुसार है:-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यो ने भाग लिया:-

1. श्री पवन अरोडा, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती नलिनी कटोटिया, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि), जविप्रा, जयपुर।
4. श्री चन्द्रशेखर पाराशर, अति. मुख्य नगर नियोजक (एमपी/बीपीसी-1)/सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री नीरज तिवाडी, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बीपीसी (एलपी-1।) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुए:-

1. श्रीमती आशा अवस्थी, वरिष्ठ नगर नियोजक, (एमपी), जविप्रा, जयपुर।
2. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
3. श्री भागीरथ हावा, उपायुक्त जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री ओमप्रकाश जांगिड, उपायुक्त जोन-6, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री लोकेश सहल, उपायुक्त जोन-10, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री धर्मपाल सिंह, उपायुक्त जोन-14, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री नरेश सिंह तंवर, उपायुक्त जोन-15, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री बीरबल सिंह शेखावत, उपायुक्त जोन-13, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री मृणाल जोशी, उप नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
10. श्रीमती रुषा जैन, सहायक निदेशक (जनसम्पर्क अधिकारी), जविप्रा, जयपुर।
11. श्री भरत मल माली, सहायक नगर नियोजक, जोन-14, जविप्रा, जयपुर।
12. श्रीमती नेहा खण्डेलवाल, सहायक नगर नियोजक, (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा

216/17.06.2014

विषय :- बीपीसी (एलपी) की बैठक क्रमांक 215 वीं बैठक दिनांक 26.05.2014 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के सम्बन्ध में।

बीपीसी (एलपी) की 215 वीं बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक: जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एल.पी.) /बीपीसी/2014/डी-290 दिनांक 24.06.2014 को जारी किये जा चुके हैं। समिति द्वारा कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा-1

216/17.06.2014 (मास्टर प्लान)

विषय :- मास्टर विकास योजना-2025 के अनुसरण में तैयार जोनल विकास योजना-2025 के प्लानिंग जोन-3 के अंतिम अनुमोदन बाबत।

प्रारूप जोनल विकास योजना जोन-3 को प्राधिकरण की 61वीं बैठक दिनांक 13.10.2012 के एजेण्डा संख्या 61.23 के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया था एवं बैठक के निर्णयानुसार प्रारूप जोनल विकास योजना-2025 (जोन-3) के सम्बन्ध में जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 23 के अन्तर्गत आम जनता/स्थानीय संस्थाओं आदि से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाकर एवं प्राप्त आपत्ति/सुझावों का निस्तारण कर प्रारूप जोनल विकास योजना-2025 (जोन-3) को बीपीसी (एलपी) के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा गया।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये जाकर जोनल विकास योजना का अनुमोदन स्वीकार किया गया।

- बीआरटीएस कोरीडोर को सड़क के ट्राफिक की आवश्यकता अनुसार समय-समय पर प्रस्तावित कर जोनल विकास योजना में समायोजित किया जावेगा।
- प्रारूप जोनल विकास योजना में दर्शित अमानीशाह नाले की चौड़ाई माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन होगी।
- विकास योजना-2025 के वॉल्यूम-4 के बिन्दु संख्या 10.14 के अनुसार अण्डरपास व फ्लाइ ओवर के सहारे-सहारे वाणिज्यिक भू-पट्टी जोनल प्लान में नहीं दर्शाई जावेगी।
- प्रारूप जोनल विकास योजना जोन-3 के क्षेत्र में आ रही रीको की विवादित भूमियों का भू-उपयोग माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार माना जावेगा।
- मास्टर विकास योजना-2025 के अनुसार दर्शाये गये स्पेशल एरिया के भू-उपयोग निर्धारण हेतु उनके भू स्वामियों के आवेदन के पश्चात बीपीसी (एलपी) द्वारा भू-उपयोग निर्धारित कर अथवा कोई नीति निर्धारण कर राज्य सरकार की अनुमति से किये जा सकेंगे एवं उक्त को जोनल विकास योजना का भाग माना जावेगा।

एजेण्डा संख्या-2

216/17.06.2014 (मास्टर प्लान)

विषय :- प्रारूप सेक्टर प्लान-68 के अनुमोदन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात प्रारूप सेक्टर प्लान का अनुमोदन नियमानुसार किया गया। प्रारूप रोड सेक्टर प्लान 68 के क्षेत्र में आने वाले संस्थानिक भू-उपयोग में प्रस्तावित 80 फीट व अधिक चौड़ी सडकों पर सेक्टर व्यावसायिक दर्शाया जावें, एवं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की इन्दिरा नगर विस्तार आवासीय योजना की दक्षिण सीमा की 30 मीटर सडक का एलाईमेन्ट रिंग रोड के प्रस्तावित अण्डरपास संख्या 24 के अनुसार करवाये जाने हेतु आरएचबी को पत्र भेजा जावें। इस प्रारूप सेक्टर प्लान पर आम जनता से 30 दिवस की अवधि में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जावें।

एजेण्डा संख्या-3

216/17.06.2014 (मास्टर प्लान)

विषय :- रोड सेक्टर प्लान-75 के अनुमोदन बाबत।

समिति समक्ष विचार विमर्श पश्चात रोड सेक्टर प्लान 75 को स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-4

216/17.06.2014 (मास्टर प्लान)

विषय :- मास्टर विकास योजना-2025 में पार्ट-IV में वर्णित सार्वजनिक व अर्द्धसार्वजनिक (संस्थानिक) उपयोग में छात्रावास गतिविधि अनुज्ञेय करने बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि मास्टर विकास योजना-2025 में पार्ट-IV में वर्णित सार्वजनिक व अर्द्धसार्वजनिक (संस्थानिक) उपयोग में छात्रावास गतिविधि अनुज्ञेय की जावें।

एजेण्डा संख्या-5

216/17.06.2014 (जोन-13)

विषय :- राजस्व ग्राम-चौमू स्थित मास्टर विकास योजना-2025 में प्रस्तावित 90.00 मीटर रोड एन.एच-11 तथा मौके पर निर्मित 60.00 मीटर चौड़े राष्ट्रीय राजमार्ग के एलाईमेन्ट एवं Existing Road के एलाईमेन्ट के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि राजस्व ग्राम-चौमू स्थित मास्टर विकास योजना-2025 में प्रस्तावित 90.00 मीटर रोड का एलाईमेन्ट एन.एच-11 द्वारा मौके पर निर्मित किये गये एलाईमेन्ट के अनुसार 90.00 मीटर ही रखा जावें। इसकी पुष्टि आगामी प्राधिकरण की बैठक में करवाई जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-6

216/17.06.2014 (जोन-7)

विषय :- निजी खातेदार की आवासीय योजना कनक वृन्दावन डी व ई ब्लॉक में अफोर्डेबल हाउसिंग हेतु आरक्षित ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. को रिलीज किये जाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.-3(663)नविवि/3/2012 दिनांक 18.07.2012 के अनुसरण में जिन योजनाओं की 90-बी की कार्यवाही दिनांक 23.12.2009 से पहले की जा चुकी है उनमें अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के प्रावधानानुसार ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. हेतु क्षेत्र/भूखण्ड आरक्षित किया जाना आवश्यक नहीं है। अतएव जोन के प्रस्तावानुसार ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के भूखण्ड रिलीज कर दिये जायें।

एजेण्डा संख्या-7

216/17.06.2014 (जोन-9)

विषय :- एकल पट्टा खसरा नं. 300 ग्राम रामनगरिया क्षेत्रफल 7062.00 वर्गगज में जारी एकल पट्टा एवम् खसरा नं. 300 ग्राम रामनगरिया क्षेत्रफल 7062.97 वर्गगज कुल 14125.94 वर्गगज का पुर्नगठन स्वीकृत करने बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर नियमानुसार शुल्क जमा कर के पुर्नगठन किये जाने का निर्णय लिया गया। यह प्रकरण 1500 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का है। अतएव नियमानुसार राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर पुर्नगठन किया जावें।

एजेण्डा संख्या-8

216/17.06.2014 (जोन-10ए)

विषय :- आशियाना ग्रीन वुड डवलपर्स जरिये संदीप बंसल की ग्राम टोडी रमजानीपुरा तह. सांगानेर के खसरा नं. 90 रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि का आवासीय फ्लैट्स का एकल भूखण्ड अनुमोदन हेतु।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। इस प्रकरण में भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की बैठक दिनांक 10.03.2014 में निर्णय लिया जा चुका है तदनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-9

216/17.06.2014 (जून-15)

विषय :- ग्राम झाई के खसरा नं. 502, 503, 504/1, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 500 कुल 2.9091 हैक्ट0 एवं सेज की 200 फिट रोड़ की पुनर्वास योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या 19, 20, 21 व 22 क्षेत्रफल 1080 वर्गमीटर के साथ पुनर्गठन कर कुल क्षेत्रफल 30171 वर्गमीटर का ग्रुप हाउसिंग आवासीय एकल पट्टा जारी करने बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि में सेज रोड़ के भूखण्ड संख्या 19, 20, 21 व 22 का पुनर्गठन शामिल है अतः नियमानुसार पूरे क्षेत्रफल का पुनर्गठन शुल्क लिया जावे एवम् ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का क्षेत्रफल 10,000 वर्गमीटर से अधिक है अतः प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया जावे। स्वीकृति प्राप्त होने पर भूखण्ड की नियमानुसार लीज डीड जारी कर दी जावे। जविप्रा सुविधा क्षेत्र एवं गैर मुमकिन रास्ते के एवज में प्रस्तावित भूमि का मौके पर कब्जा लिया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-1

216/17.06.2014 (मास्टर प्लान)

विषय :- प्रारूप सेक्टर प्लान-78 ए के अनुमोदन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात प्रारूप सेक्टर प्लान का अनुमोदन नियमानुसार किया गया। प्रारूप सेक्टर प्लान पर आम जनता से 30 दिवस की अवधि में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-2

216/17.06.2014 (मास्टर प्लान)

विषय :- रोड़ सेक्टर प्लान-66 के अनुमोदन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात सेक्टर 51, 52, 53 व 66 की सीमा पर प्रस्तावित 200 फीट चौड़ी मुहाना रोड़ का मास्टर विकास योजना-2025 के प्रस्तावित एलाइमेन्ट को सेक्टर प्लान में दर्शाया जाकर रोड़ सेक्टर प्लान का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-3

216/17.06.2014 (मास्टर प्लान)

विषय :- रोड़ सेक्टर प्लान-81 के अनुमोदन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात रोड़ सेक्टर प्लान का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-4

216/17.06.2014 (मास्टर प्लान)

विषय :- रोड सेक्टर प्लान-73 के अनुमोदन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात रोड सेक्टर प्लान का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-5

216/17.06.2014 (जोन-14)

विषय :- सेक्टर 61 में 80 फीट रोड के रिअलाईमेंट के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि सेक्टर 61 की अनुमोदित 24 मीटर सडक का प्रस्तावित एलाइमेन्ट जोन द्वारा दिये गये प्रस्तावों के अनुसार सडक के दोनों ओर सेक्टर व्यावसायिक भू-पट्टी रखते हुए आम जनता से 30 दिवस की अवधि में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-6

216/17.06.2014 (जोन-8)

विषय :- आवासीय (फ्लैट्स) भूखण्ड का कम्यूनिटी सेन्टर हेतु उपयोग परिवर्तन बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। कम्यूनिटी सेन्टर मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार आवासीय क्षेत्र में अनुज्ञेय है अतः आवेदक से आवासीय (फ्लैट्स) के लिये जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी मूल लीज डीड व साइट प्लान सरेन्डर करवाकर कम्यूनिटी सेन्टर हेतु संस्थानिक लीज डीड व साइट प्लान जारी कर दिया जावे। संस्थानिक उपयोग हेतु अपेक्षित नियमन शुल्क की राशि में से आवासीय (फ्लैट्स) भूखण्ड हेतु जमा राशि का समायोजन करते हुये अन्तर की शेष राशि जमा करवाकर प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-7

216/17.06.2014 (जोन-7)

विषय :- छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स. समिति के अनुमोदित आवासीय योजना गणेश कॉलोनी-ए के भूखण्ड 33ए एवं 34ए के नियमन के संबंध में।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि न्यायिक निर्णयो तथा स्वामित्व संबंधी एवम् सहकारी समिति के मूल योजना मानचित्र की जोन एवम् सहकारिता प्रकोष्ठ से पूर्ण जाँच की जावे एवम् तत्पश्चात बीपीसी से निर्णय आपेक्षित हो तो समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-8

216/17.06.2014 (जोन-8)

विषय :- सेक्टर 39 में से सेक्टर रोड़ विलोपित करने के सम्बन्ध में।

समिति के समक्ष जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात जविप्रा द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 06.09.2013 के परिपेक्ष्य में प्राप्त आपत्ति/सुझावों को प्रस्तुत एजेण्डा के क्रम में 30 मीटर सेक्टर रोड़ को प्रस्ताव अनुसार दक्षिण की ओर किया जाकर आंशिक संशोधन के साथ अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया। इस संशोधन के अनुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत इसी क्षेत्र में आ रही सहकारी समिति की योजना श्री गणपति नगर को पूर्व में अनुमोदित कर नियमन शिविर लगाकर भूखण्डधारियों को पट्टे दिये जा चुके है।

समिति ने पत्रावली में वर्णित तथ्यों का अवलोकन कर निर्णय लिया की 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 6-7 सड़कें हैं जिनका विलोपन/रिप्लैसमेंट सांगानेर निवासियों/प्रार्थीयान द्वारा निवेदन किया गया है क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत से निर्माण व औद्योगिक रूपान्तरण जिला कलेक्टर द्वारा किये जा चुके हैं। अतः विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि सड़कों को विलोपित नहीं किया जाकर केवल (पूर्व-पश्चिम) 30 मीटर सड़क को Existing सड़क के सीध में किया जाकर 30 मीटर ही रखा जावे एवं उत्तर-दक्षिण में 24 मीटर सड़क को प्रभावित दोनों खातेदार के आधे-आधे भाग की ओर रखा जाकर 18 मीटर रखा जावे एवं तदानुसार सेक्टर प्लान में संशोधन किया जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-9

216/17.06.2014 (जोन-10ए)

विषय :- ग्राम टोडी रमजानीपुरा तह. जगतपुरा में स्थित निजी खातेदार योजना पाम कोर्टस के श्री गजसिंह व मैसर्स गोल्डन ड्यून्स होम्स एल.एल.पी. के कुल 8 भूखण्डों का पुर्नगठन बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन द्वारा पामकोर्ट योजना में इस पुर्नगठन आवेदन के आपत्तिकर्ता भूखण्डधारियों या उनके प्रतिनिधियों को समिति की आगामी बैठक में व्यक्तिशः सुनवाई हेतु बुलाया जाये, ताकि प्रकरण का निस्तारण हो सकें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-10

216/17.06.2014 (मास्टर प्लान)

विषय :- अमानीशाह नाले के आस-पास स्थित सेक्टर प्लानों के सम्बन्ध में।

अमानीशाह नाले के आस-पास स्थित सेक्टर प्लानों में नाले को लिंक करने हेतु अनेक सड़कें प्रस्तावित की गयी है जिन पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि जरूरी कांसिंग के प्रस्ताव तैयार करने हेतु सेक्टर प्लानों की समीक्षा की जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-11

216/17.06.2014 (मास्टर प्लान)


विषय :- पृथ्वीराज नगर (उत्तर व दक्षिण) के भू-उपयोग निर्धारण के सम्बन्ध में।

पृथ्वीराज नगर (उत्तर व दक्षिण) के भू-उपयोग निर्धारण के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गई:-

1. मास्टर विकास योजना-2025 में पृथ्वीराज नगर क्षेत्र को "स्पेशल एरिया" अन्तर्गत रखा गया था प्राधिकरण की 61वीं बैठक दिनांक 13.10.2012 में पृथ्वीराज नगर योजना में सड़कों की चौड़ाई व उस पर अनुज्ञेय हो सकने वाले भू-उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं के गुण दोष के आधार पर आवासीय, व्यावसायिक, संस्थानिक व मिश्रित भू-उपयोग हेतु अधिकृत किया गया था।
2. नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 21.01.2013 को गृह निर्माण सहकारी समिति की योजनाओं में यथा समभव 60:40 का अनुपात रखा जाकर आवासीय योजना के अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान की गयी।
3. नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 20.09.2013 के बिन्दु संख्या 2.9 के अनुसार "योजना में भू-उपयोग आवासीय, व्यावसायिक व संस्थानिक एवं मिश्रित भू-उपयोग रखा जायेगा एवं विद्यमान सेक्टर प्लान का भू-उपयोग मौका स्थिति अनुसार संशोधित/ निर्धारित किया जायेगा।

उक्त सभी बिन्दुओं पर विचार विमर्श पश्चात नीतिगत निर्णय लिया गया कि पृथ्वीराज नगर योजना में मुख्यतः आवासीय भू-उपयोग रखते हुए योजनाओं का परीक्षण नियमानुसार करते हुए अनुमोदन किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। इसके अतिरिक्त स्थानीय आवश्यकताओं एवं गुणदोष के आधार पर भूमि का भू-उपयोग व्यावसायिक, संस्थानिक व मिश्रित भू-उपयोग रखा जावें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।



अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/मा. प्लान/बीपीसी (एलपी)/2014/डी- 293

दिनांक: 2/7/2014

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति. आयुक्त (पूर्व)/पश्चिम/एलपीसी/भूमि, जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त, जोन-.....जविप्रा, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
8. उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।